

उपायुक्त -सह-दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।

(समाज कल्याण शाखा )

पत्रांक 673 / जि.स.क.

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,  
गुमला।

सेवा में,

वेब मैनेजर सह अपर समाहर्ता,  
गुमला।

गुमला, दिनांक 19/12/2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु गुमला जिला के संप्रेक्षण गृह में खाद्य एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा का प्रकाशन।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि संप्रेक्षण गृह, गुमला में खाद्य एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा सूचना पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसे गुमला जिला के gumla.nic.in portal पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त

विश्वासभाजन,

*[Handwritten Signature]*  
19/12/21

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,

*[Handwritten Signature]*  
19/12/21  
गुमला।



4  
उपायुक्त -सह-दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।

(समाज कल्याण शाखा )

अति अल्पकालीन निविदा

वित्तीय वर्ष 2021-22 में गुमला जिलान्तर्गत सम्प्रेक्षण गृह के लिए खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा निबंधित एवं प्रतिष्ठित थोक विक्रेताओं से दिनांक 26.07.2021 को 11:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन उपायुक्त महोदय के सभा कक्ष में निविदा 1:00 बजे अपराह्न में खोला जायेगा, निविदा खोलते समय निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। न्यूनतम दर एवं गुणवत्ता पर स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर देनी होगी।

**निविदा की शर्त :-**

1. प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक सामग्री का विक्रेता होने का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र देना होगा।
2. प्रत्येक निविदादाता को 05 वर्षों का कार्य अनुभाव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक निविदादाता को आयकर निबंधित प्रमाण पत्र एवं 05 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को GST निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. GST का अद्यतन Audited Balance Sheet संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता को कृषि बाजार अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र देना होगा।
7. खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता हेतु निविदादाता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक में निबंधित होना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 50,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट/NSC जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला के पदनाम से निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता का वार्षिक Turn over एक करोड़ से अधिक रहना अनिवार्य होगा।
10. बिना अग्रधन की निविदा एवं कोई भी कागजात की कमी पाये जाने पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. स्वीकृत निविदादाता को आवंटन का प्रत्याशा में आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी। आपूर्ति बाधित करने पर उसे काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है एवं अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है।
12. निविदादाता को खाद्य सामग्रियों का नमूना निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा। बिना नमूना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ब्राण्डेड कम्पनी का मार्का भी निविदा में अंकित किया जाय।
13. निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त महादेय को सुरक्षित होगा।
14. स्वीकृत निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति सम्प्रेक्षण गृह, गुमला तक पहुँचाकर करनी होगी, जिसके लिए अलग से परिवहन/हथालन व्यय देय नहीं होगा।
15. इच्छुक निविदादाता सम्प्रेक्षण गृह में आपूर्ति हेतु खाद्य सामग्री, पठन पाठन/लेखन सामग्री, रचनात्मक कार्य हेतु सामग्री, कार्यालय में उपयोग हेतु सामग्री, पोशाक एवं वस्त्र, खेल सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य दिवस के दिन प्राप्त कर सकते हैं।
16. सामग्री का दर सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर प्रति किलो अथवा प्रति अद्द में अंकित करना अनिवार्य होगा।
17. आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. स्वीकृत निविदित प्रतिष्ठान को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला से एकरारनामा करना होगा।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,

गुमला।

19/07/21